याल्टा और पॉट्सडैम सम्मेलन: युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था का निर्माण (1945)
Yalta and Potsdam Conferences: Formation of the Post-War World Order (1945)

द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में मित्र राष्ट्रों ने युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण सम्मेलनों का आयोजन किया। फरवरी 1945 का याल्टा सम्मेलन और जुलाई–अगस्त 1945 का पॉट्सडैम सम्मेलन इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन सम्मेलनों में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने यूरोप के भविष्य की रूपरेखा तय की।

याल्टा सम्मेलन में जर्मनी के विभाजन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और पूर्वी यूरोप में राजनीतिक पुनर्गठन पर सहमति बनी। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव क्षेत्र को सुरक्षित करने का प्रयास किया, जबकि पश्चिमी शक्तियाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना पर बल दे रही थीं। यह वैचारिक मतभेद भविष्य के शीत युद्ध की पृष्ठभूमि बने।

पॉट्सडैम सम्मेलन में जर्मनी के प्रशासन, निरस्त्रीकरण, नाजीकरण की समाप्ति (Denazification) और युद्ध अपराधों के दंड पर निर्णय लिए गए। जर्मनी को चार भागों में विभाजित किया गया और बर्लिन को भी चार शक्तियों के नियंत्रण में रखा गया। इस व्यवस्था ने यूरोप में भू-राजनीतिक संतुलन की नई संरचना को जन्म दिया।

इतिहासलेखन में इन सम्मेलनों की प्रकृति पर मतभेद है। पारंपरिक दृष्टिकोण इन्हें सहयोग की अंतिम अभिव्यक्ति मानता है, जबकि संशोधनवादी इतिहासकारों का तर्क है कि यहीं से महाशक्तियों के बीच अविश्वास और प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई। उत्तर-संशोधनवादी दृष्टिकोण के अनुसार इन सम्मेलनों में सहयोग और संघर्ष दोनों के तत्व मौजूद थे।

निष्कर्षतः याल्टा और पॉट्सडैम सम्मेलन ने युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था की आधारशिला रखी। इन निर्णयों ने यूरोप के राजनीतिक विभाजन, शीत युद्ध की उत्पत्ति और द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई।